प्रेस नोट

दिनाँक 05.10.2025

जनपद-संतकबीरनगर

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता बिगाडू पुत्र दुलारे निवासी रामनगर बढया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, का0 अरुण यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

•थाना बखिरा खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

•थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

•थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6885 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 05 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6885 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत टीकरी से कालर द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 05 व्यक्तियों (1.हरगोविन्द पुत्र सुर्यनाथ 02. रामाकान्त पुत्र हरगोविन्द 03. रीता पत्नी अशोक 04. संदीप पुत्र रुदल चौरसिया 05. अशीष पुत्र रुदल निवासी टीकरी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी मेंहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ० असगर अली, आरक्षी ओंकार तिवारी, हो०चा0 पंकज मिश्र।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 240 वाहनों से 257,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 05.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 240 वाहनों से 257,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।